



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

56AE 841114



काशी निवन्धक  
समिति  
काशी निवन्धक समिति  
काशी निवन्धक समिति  
अगोच्छा (३० प्र०)  
30/03/72

काशी निवन्धक समिति

काशी निवन्धक समिति

काशी निवन्धक समिति

F 20540

काशी निवन्धक समिति



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

56AE 841115



सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक  
कार्य सांसारिकी एवं चिदस  
लयोऽया (३० प्र०)

F 90540

## संशोधित स्मृति-पत्र

1. संघर्षा का नाम : **कामाचयनी महिला महाविद्यालय समिति**
2. संघर्षा का पता : ग्राम अजियाउर देर्ई (लोहियानगर) पोस्ट अलीगंज तहसील सदर जिला सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश)
3. संघर्षा का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।
4. संघर्षा का उद्देश्य :
- 1 छात्र/छात्राओं के लिए प्राथमिक से उच्च शिक्षा का प्रबन्ध करना।
  - 2 छात्र/छात्राओं को नियमानुसार शासन एवं सम्बन्धित विभाग की अनुमति से स्वरोजगारपरक एवं अन्य सामाजिक तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा का प्रबन्ध करना।
  - 3 समाज के विकास में योगदान करना।
  - 4 व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा को प्रदान करना।
  - 5 पुस्तकालयों की स्थापना एवं संचालन करना।
  - 6 अन्य शैक्षिक कार्यक्रमों का संचालन करना।
  - 7 संस्था द्वारा निःशक्ति व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के तहत प्राथमिक से उच्च शैक्षणिक व प्रशिक्षण संस्था या कार्यक्रमों की स्थापना तथा हॉस्टल की व्यवस्था करना।
  - 8 संस्था द्वारा दिव्यांगो/विकलांग जनसंस्कृकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संचालन प्रश्नाएँ सरकार द्वारा संचालित पूर्व दशम तथा दशमोत्तर कक्षाये संचालित कर सभी प्रकार की शिखा जिसमें पूर्णकालिक/अंशकालिक/दूरस्थ शिक्षा, पत्राचार के माध्यम से सम्मिलित है। सभी प्रकार के विकलांग जनों जैसे अस्थिबाधित/श्रवण बाधित/दृष्टिबाधित/मानसिक मंदित एवं बहु विकलांगजनों को सभी प्रकार के कोर्स जैसे—मेडिकल, सूचना प्रौद्योगिकी, साइंस, कामर्स, हूमैनटीस एवं सोशन साइंस, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, कौशल विकास मिशन प्रोग्राम आदि पाठ्यक्रम संचालित करना।
- भारतीय पुर्नवास परिषद द्वारा संचालित सभी कार्यक्रम जैसे—D.Ed/Spl.Ed/B.Ed/Spl.Ed/M.Ed/Spl.M.Ed आदि सभी कोर्सों को चलाना व उनका प्रबन्धन करना।
- संस्था द्वारा निःशक्ति व्यक्ति हेतु भारत सरकार द्वारा संचालित सभी प्रकार के कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना व सम्बन्धित कार्यक्रम निःशक्ति व्यक्तियों को दिलाने व संचालन करने में हर प्रकार का सहयोग प्रदान करना।



कामाचयनी महिला महाविद्यालय समिति

दिव्यांग विकलांग

संचालित

दिव्यांग विकलांग

कामाचयनी महिला महाविद्यालय समिति

दिव्यांग विकलांग

संचालित

कामाचयनी महिला महाविद्यालय समिति

दिव्यांग विकलांग

विनोदपाठ्यक्रम

संचालित

- 11 संस्था द्वारा विभिन्न श्रेणी के निराश्रित दिव्यांग व्यक्तियों हेतु भरण पोषण अनुदान (एस०सी०एम०पी०) को संचालित करना।
- 12 संस्था द्वारा दिव्यांगों की शिक्षा के लिए शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालयों आवासीय विद्यालयों की स्थापना, संचालन एवं प्रबन्धन करना।
- 13 शैक्षिक विकास हेतु विद्यालय, बालक/बालिका, विद्यालयों, दिव्यांग विद्यालयों, अल्पसंख्यक विद्यालयों/कालेजों एवं महाविद्यालयों की स्थापना करना जिनमें प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक शिक्षा की व्यवस्था करना।
- 14 ज्ञानवर्धन हितार्थ निःशुल्क पुस्तकालय एवं वाचनालय की निःशुल्क व्यवस्था करना तथा हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू एवं संस्कृत भाषा तथा भारतीय संस्कृति एवं कला प्रचार-प्रसार तथा हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दिलाने की व्यवस्था का संचालन एवं प्रबन्धन करना।
- 15 गरीब एवं असहाय बच्चों, डिजाइनिंग एवं शिल्पकला, दरी-कालीन, टंकण, आशुलिपिक, क्रौंचवृद्ध्या एवं ग्रामोद्योगिक प्रशिक्षण दिलाने की निःशुल्क व्यवस्था करना।
- 16 संस्था द्वारा (U.P.Board, C.B.S.E., N.C.E.R.T, I.C.S.E) की मान्यता लेना एवं विद्यालयों की स्थापना किरण एवं संचालन करना।
- 17 बालक एवं बालिकाओं को समय-समय पुष्टि और योग्यता हीने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल बनाने के लिए उद्देश्य सेवा को चिंग द्वारा उन्हे उचित मार्गदर्शन, सलाह देना एवं उन्हे शारीरिक व भौमिक रूप से मजबूत करते हुए उन्हे हर प्रकार का सहयोग प्रदान करने जिससे कि वह आत्मनिर्भर बन सके।
- अन्य संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित करना तथा केन्द्र व राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करना एवं समाज के सभी जाति, धर्म के लोगों को समुचित संरक्षण व कानूनी सलाह सम्बन्धित सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा उपयुक्त मदद व सहायता दिलाना।
- 18 भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित समस्त कार्यों में कार्यदायी संस्था के रूप में सहभागिता करना।
- 19 संस्था द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन करना तथा वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण का निस्तारण का दिशा निर्देशन एवं प्रचार-प्रसार एवं रोकथाम करना। प्रदूषण, रहित परियोजनाओं की व्यवस्था निर्माण एवं संचालन करना बाढ़/भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों/लोगों की मदद करना।
- 20 संस्था द्वारा सभी देशी व अन्य सरकारी/अर्द्ध सरकारी/गैर सरकारी कार्यों/कार्यक्रमों/परियोजनाओं का एवं संस्था अपने द्वारा जारी सभी कार्यों/परियोजनाओं के प्रबन्धन, कार्यान्वयन, क्रियान्वयन, अनुश्रवण, मूल्यान्कन, शोध, सांखिकी, रिकार्ड, सर्वे के कार्यों का संचालन व
- 21

डिविन्ड उम्प रिंड  
गाली प्रभाग

मार्गदर्शक के रूप सम्पन्न कराना तथा कार्यशाला विचार गोष्ठी का आयोजन व संचालन करना।

22 संस्था की सम्पत्ति एवं निधि का उपयोग व प्रयोग केवल मात्र संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति एवं संस्था के कार्यों व सम्पत्ति के यथोचित प्रबन्धन के लिए आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

23 संस्था का विघटन या समाप्त होने पर जो कुछ भी सम्पत्ति व निधि शेष रह जायेगी, उसे सर्वसम्मति से किसी ऐसी संस्था, द्रस्ट, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन को जो कि इस संस्था के समान उद्देश्य रखती हो व कार्य करती हो को दे दिया जायेगा।

24 यह संस्था बेबदल (इररिवोकेबल) संस्था होती है।  
25 संस्था के लाभार्थी आम जन (पब्लिक) का हिस्सा होता है कि कोई विशिष्ट व्यक्ति जो संस्था के कार्यों का प्रचार प्रसार निश्चल करते रहेंगे।

26 संस्था द्वारा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों से खेल उद्योग सम्बन्धित खिलाड़ियों को सभी प्रकार की सुविधा प्रदान करना तथा उन्हे राष्ट्रीय अन्तराष्ट्रीय स्तर तक पहुँचानें में साधन, सामग्री सहयोग व प्रोत्साहन देने का कार्य करना तथा कीड़ा संतुलित विर्माण व संचालन करना।

27 उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार निकायों, दानशील व्यक्तियों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से संस्कारण अनुसरकारी कार्यालयों, समाज कल्याण विभाग उ०प्र०, उ०प्र० खाद्य प्रसंस्करण विभाग की योजनायें प्राप्त करना, केन्द्रीय एवं राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, कपार्ट, अवार्ड, नाबार्ड, सिडवी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूनीसेफ, ड्वाकरा, सिफ्सा, सैफ इण्डिया, मत्स्य पालन, कुक्कट पालन, बकरी पालन, मनरेगा, कृषि कार्य सम्बन्धी योजनाये, एल्येज इण्डिया, आफ्सफेम इण्डिया, सूडा, झूडा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, राष्ट्रीय महिला कोष, विश्व बैंक, केयर, वन मंत्रालय, पशुधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय उ०प्र०, केन्द्रीय महिला कल्याण निगम, महिला कल्याण मंत्रालय, अल्पसंख्यक फाउण्डेशन, पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय, विकलांग कल्याण निदेशालय, उद्यान विभाग उ०प्र०, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, सांसद निधि, विधायक निधि तथा अन्य स्रोतों से ऋण, दान, अनुदान एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करना।

संस्था द्वारा जन समुदाय को पेयजल समूह प्रबन्धन तथा जल की गुणवत्ता बनाये रखने एवं वर्षा जल संचयन सम्बन्धित राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक कर उन्हे सहायता दिलाने का प्रयास करना व लाभान्वित कराना।

संस्था द्वारा जल संसाधन प्रबन्धन, जल क्षमता संवर्द्धन करना एवं जल स्वास्थ्य आभियांत्रिकी पर जोर देना व प्रचार प्रसार करना।

कृष्ण चूर्ण  
गायाप्रसाद

- 30 संस्था द्वारा जनसमुदाय के अन्तर्गत खासकर महिलाओं द्वारा जल संसाधन की व्यवस्था करना तथा आने वाली समस्याओं को दूर करना।
- 31 संस्था द्वारा जल क्षेत्र में कार्य करने हेतु तालाब, नदियों, झीलों का संरक्षण एवं संवर्द्धन स्थानीय शासन प्रशासन की अनुमति से करते हुए इनका विकास करना व जल की स्वच्छता बनाये जाने हेतु लोगों को जागरूक कर उसका प्रचार प्रसार करना।
- 32 संस्था द्वारा सौज्य/केन्द्र सरकार द्वारा सङ्गठक परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन व रेल परिवहन के क्षेत्र में चलायी जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार जनसहयोग के माध्यम से करना।
- 33 संस्था के उन्नति व विकास हेतु दान, अनुदान, क्रिएटिव विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किये जाने हेतु प्रेरित व जागरूक करना।

(5) संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों व पदाधिकारियों के नाम, पर्याय, पद तथा जिनकी संस्था के स्मृति-पत्र तथा नियमावली के अनुसार कार्यभार सौंपा गया है।

क्रमांक	नाम, पिता/पति का नाम	पद	पता	अध्येत्यात्मा	व्यवस्था
1	डॉ सुरभि शुक्ला पत्नी श्री संदीप कुमार शुक्ला	प्रबन्धक/ संरक्षक	चंदीपुर, दादरा जिला अमेठी	समाजसेविका <b>सत्य प्रतिलिपि</b>	
2	डॉ संदीप कुमार शुक्ला पुत्र श्री शिवभूषण शुक्ला	अध्यक्ष	चंदीपुर, दादरा जिला अमेठी	समाजसेवी सोसाइटी एवं चिट्ठा	
3	राम अकबाल यादव पुत्र श्री नोहरी यादव	उपाध्यक्ष	उलरा चंदौकी जिला अमेठी	समाजसेवी	20/8/92
4	दुर्गा प्रसाद पुत्र श्री विश्वनाथ प्रसाद	उपप्रबन्धक	वर्धा वीरो दोस्तपुर रोड, अम्बेडकरनगर		कृषि
5	सुशील मिश्र पुत्र श्री रमेश चन्द्र मिश्र	कोषाध्यक्ष	पण्डेला कादीपुर जिला सुलतानपुर	समाजसेवा	
6	विनोद चन्द्र पाण्डेय पुत्र श्री राम निहोर पाण्डेय	लेखापरीक्षक	घटमापुर शिवगढ़ जलालपुर जिला अमेठी	समाजसेवी	
7	शिवेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामकरन सिंह	सदस्य	पिकौरा, बंधुआकलां, सुलतानपुर	समाजसेवी	
8	गया प्रसाद यादव पुत्र श्री साधू	सदस्य	पटेहरा कचनावां, धम्मौर, सुलतानपुर		कृषि
9	शिवशंकर पाण्डेय पुत्र श्री रामदुलार पाण्डेय	सदस्य	मितई पाण्डेय का पुरवा, कोटिया, अलीगंज, सुलतानपुर	समाजसेवी	
10	कपिलकान्त सिंह पुत्र श्री शारदा प्रसाद सिंह	सदस्य	बेलहरी जिला सुलतानपुर		कृषि
11	इसहाक अहमद पुत्र श्री इश्तियाक अहमद	सदस्य	सोनबरसा छतौना जिला सुलतानपुर		समाजसेवी

(6) हम् निम्न हस्ताक्षरकर्ता संस्था उपरोक्त को स्मृति-पत्र तथा नियमावली के अनुसार सोसाइटीज और पंजीकृत कराना चाहते हैं।

दिनांक : ..... हस्ताक्षर

निम्नान्त दोनों द्वारा दिया गया है।

## संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम
2. संस्था का पता
3. संस्था का कार्यक्षेत्र
4. संस्था की सदस्यता अवधि सदस्यों के बीच :-

**आजीवन सदस्य** : जो व्यक्ति सदस्यता हेतु प्रबन्धक को प्रार्थना पत्र देंगे तथा अध्यक्ष एवं प्रबन्धक उसे स्वीकृति देंगे तथा इस संस्था को 5,000 रुपया (पाँच हजार रुपया) या उसके बराबर मूल्य का सामान, भूमि आदि दान देंगे, अस्तिकासमझौते होंगे।

**संरक्षक सदस्य** : इस संस्थान की स्थापना श्रीमती शुभा सुरभि शुक्ला के सदस्यासो एवं प्रारम्भिक वार्ष से हुई है। अतः शुभा सुरभि शुक्ला ही इस संस्था / समिति की आजीवन संरक्षक होगी।

**सामान्य सदस्य** : संस्था को प्रतिवर्ष जुलाई माह में 1014 रुपये वार्षिक सदस्यता शुल्क प्रदान करने वाले को संस्था का सामान्य सदस्य बनाया जायेगा।

### 5 सदस्यता की समाप्ति:

1. मृत्यु हो जाने पर।
  2. पागल या दिवालिया हो जाने पर या सोसाईटी एवं चिदस
  3. किसी न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।
  4. त्यागपत्र देने पर।
  5. संस्था के नियमों का पालन न करने पर।
  6. लगातार तीन बैठकों में बिना किसी स्पष्ट कारण के अथवा बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने पर।
  7. अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर।
  8. साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा निष्कासित होने पर सदस्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- ३०/०५/२२

### 6 संस्था के अंग :

1. साधारण सभा
2. प्रबन्धकारिणी समिति

### 7 साधारण सभा

#### गठन

: साधारण सभा संस्था की प्रारम्भिक इकाई होगी। इसका गठन समस्त प्रकार के सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा।

#### बैठके

: साधारण सभा की बैठके वर्ष में एक बार अवश्य होगी यह बैठक अध्यक्ष द्वारा बुलाई जायेगी। यदि साधारण सभा के 1/3 सदस्य अध्यक्ष से लिखित याचना करें तो 10 दिन के अन्दर अध्यक्ष विशेष बैठक बुलाएंगे।

विनायक पाठ्य  
कालिकानामी  
दुर्विधान  
विद्यालय सभा  
विनायक पाठ्य

Dated

इन्द्रियम्

श्री विनायक पाठ्य

विद्यालय कालिकानामी

यदि वह न बुलाए तो संरक्षक के पास याचना की जायेगी और व बैठक बुलाने के लिए अधिकारी होंगे।

सूचना अवधि

सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 7 दिन आवश्यक होगी।

गणपूर्ति/कोर्टम

कुल सदस्य संख्या का  $2/3$  (दो तिहाई) आवश्यक होगा।

वार्षिक अधिवेशन

संस्था का वार्षिक अधिवेशन सत्र समाप्ति पर प्रबन्धक द्वारा निर्धारित तिथि पर सम्पन्न होगा।

साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्यः

- 1 प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों एवं सदस्यों का चुनाव करना।
- 2 संस्थान की नीति निर्धारण करना एवं उपायों का प्राप्त करने की स्वीकृति।
- 3 संस्था के आय व्यय को स्वीकृति करना।
- 4  $2/3$  (दो-तिहाई) बहुमत के आधार पर संस्थान के नियमों/विनियमों में संशोधन करना। सदस्यों की बहुमत से किया जायेगा।

#### 8. प्रबन्धकारिणी समिति :

गठन

प्रबन्धकारिणी समिति में कुल अधिकारियों (योग्यता 30 सदस्य) होगी जिसमें संरक्षक एक, अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष एक, प्रबन्धक एक, उपप्रबन्धक एक, कोषाध्यक्ष एक, लेखा निरीक्षक एक तथा 05 सदस्य होंगे। इसमें से अध्यक्ष एवं प्रबन्धक का चुनाव प्रदेन सदस्य अपने से करेंगे। उपाध्यक्ष, उपप्रबन्धक, कोषाध्यक्ष, लेखा परीक्षक तथा 2 सदस्यों का चयन साधारण सभा द्वारा बहुमत के आधार पर किया जायेगा तथा शेष 3 सदस्य अध्यक्ष द्वारा नामित व्यक्ति होंगे। परन्तु साधारण सभा की सहमति आवश्यक होगी।

बैठके

प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक वर्ष में दो बार होगी। विशेष बैठक प्रबन्धक द्वारा 3 दिन की सूचना पर बुलाई जायेगी।

सूचना अवधि :

बैठक के लिए एक सप्ताह पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा। विशेष बैठक के लिए यह समय 3 (तीन) दिन का होगा।

गणपूर्ति

इसके लिए एक तिहाई सदस्य का होना अनिवार्य होगा। स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।

रिक्त स्थानों की पूर्ति :

समिति में यदि कोई भी आकस्मिक स्थान रिक्त हो तो उसकी पूर्ति साधारण सभा के  $2/3$  सदस्यों के द्वारा कायकाल के लिए की जायेगी।

विनाकालिक पूर्ति

नियम वाला

दुर्गम्य

S. S.

दिनांक  
संवित्ति

ट्रिप्पल कॉर्पोरेशन

दिनांक  
संवित्ति

## कार्यकाल

: प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल चयन से 5 वर्ष के लिए किया जायेगा।

## प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :

1. संस्था की देखरेख तथा प्रबन्ध करना।
2. संस्था की कठिनाईयों से अवगत होते हुए उन्हे दूर करने का प्रयास करना।
3. संस्था की व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने लिए धन संग्रह करना।
4. संस्था के हितों एवं सम्पत्ति की रक्षा करना।
5. संस्थाने के लिए वर्ष के अनुमानित आय-व्यय का लेखा तैयार करना, उस पर साधारण सभी का अनुमोदन प्राप्त करना तथा निर्धारित लक्ष्य को पूर्ति हेतु प्रयास करना।
6. प्रबन्धकारिणी समिति अपने प्रत्येक कार्यों के लिए साधारण समा के प्रति उत्तरदायी होगी।
7. संस्था की सम्पत्ति एवं निधि का उपयोग व प्रयोग केवल सात्र संस्था के उद्देश्यों को पूर्ण एवं सुख्ते के कार्यों व सम्पत्ति के यथोचित प्रबन्धन के लिए आवश्यकतानुसार किया जायेगा।
8. संस्था का विघटन या समाप्त होने पर जो कुछ भी सम्पत्ति व निधि शेष रह जायेगी, उसे सर्वसम्मति से किसी ऐसी संस्था, ट्रस्ट, एसोसिएशन, इंस्ट्रूशन को जो कि इस संस्था के समान उद्देश्य रखती हो व कार्य करती को दे दिया जायेगा।
9. यह संस्था बेबदल (इररिवोकेबल) संस्था होगी।
10. संस्था के लाभार्थी आम जन (पब्लिक) का हिस्सा होग न कि कोई विशिष्ट व्यक्ति जो संस्था के लिए प्रसार निःशुल्क करते रहेंगे।

## 9 प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य

### अध्यक्ष

1. सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. प्रस्ताव आदि रखने की अनुमति प्रदान करना।
3. समान मत होने पर अपने एक निर्णयक मत का प्रयोग करना।
4. समय-समय पर संस्था के कार्यों का निरीक्षण करना।
5. बैठकों की तिथियों का अनुमोदन करना।
6. त्याग पत्रों को स्वीकार करना।
7. संस्था के विकास में अपना योगदान करना।

### उपाध्यक्ष :

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके समस्त कृत्यों का सम्पादन उपाध्यक्ष द्वारा होगा। सामान्यतः अध्यक्ष को सहयोग, मार्गदर्शन एवं प्रेरित करने का कार्य उपाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

राजेश च. ८१८८८

Swathi

श्रीमति राजेश च. ८१८८८

### **प्रबन्धक/संरक्षक :**

अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के बाद सबसे महत्त्वपूर्ण स्थान प्रबन्धक का होगा। प्रबन्धकारिणी समिति को समस्त अधिकारों एवं कार्यों का प्रयोग वास्तविक रूप से प्रबन्धक ही करेगा। प्रबन्धक के प्रमुख अधिकार एवं कर्तव्य निम्नवत होंगे -

1. साधारण सभा द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार संस्था का प्रबन्धन करना तथा उसके समस्त हितों की देखरेख करना एवं मुकदमों की पैरवी करना।
2. अनुमानित आय-व्यय का लेखा जोखा तैयार करना।
3. संस्था की ओर से समस्त बिलों एवं बाड़चरों पर हस्ताक्षर करना।
4. संस्था की ओर से समस्त कानूनी कार्यवाही का संचालन करना।
5. संस्था के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के लिए मौकायुक्त करना।
6. उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ऋण, अनुदान, इच्छादाता, दाता, चलावृत्ति अचल सम्पत्ति प्राप्त करना।
7. ऐसे अन्य कार्यों को करना जो आवश्यकतानुसार और समयानुसार साधारण सभा अथवा प्रबन्धकारिणी समिति प्रदान करे।
8. प्राचार्य के प्रतिवेदन पर आवश्यक रिकॉर्ड स्थानपूर्ति की पूर्ति हेतु नियुक्तियों का प्रबन्ध करना तथा उसके लिए अन्य आवश्यक कार्यवाही करना।
9. अध्यापकों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति निलम्बन, पदोन्नति, वेतनवृद्धि, वेतन तिवरण, पदव्युत कहलागी व सम्बन्धित अधिकार के कर्मचारियों की सेवाओं को आवश्यकतानुसार सम्पत्ति, नियमानुसार स्थाई करना, परीक्षण करना तथा उनकी संख्यायेष्वद्वाना तथा त्रिसम्बन्धी अन्य कार्यवाही को करना।
10. कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना तथा अनुशासन बनाए रखने के लिए कार्यवाही करना।
11. संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति पर नियंत्रण करना।
12. संस्था के विकास हेतु सरकारी विभागों एवं अन्य संस्थाओं से संपर्क स्थापित करना।
13. संस्था के विकास के लिए अपना योगदान करना।
14. सभी प्रकार की कार्यवाहियों का संचालन करना।
15. कोष सम्बन्धी कार्य करना।
16. प्रबन्धक को अपने प्रत्येक कार्य पर प्रबन्धकारिणी समिति की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा। अपने कार्यों के लिए वह प्रबन्धकारिणी समिति के प्रति उत्तरदायी होगा।

### **उपप्रबन्धक :**

प्रबन्धक की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्यों को सम्पादित करना और सम्बन्धित में उसका सहयोग होगा।

### **कोषाध्यक्ष :**

1. आय-व्यय का विवरण तैयार करना।
2. अन्य सम्बन्धी अभिलेखों को लिपिबद्ध करना।
3. सदस्यता शुल्क प्राप्त कर रसीद देना।

विनाकुपायोग  
कालिकाता/भूमि  
दुर्गापुराम  
१८-१९८५

२०८५  
रामानन्दाराम  
कोलकाता

### प्रबन्धक/संरक्षक :

अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के बाद सबसे महत्त्वपूर्ण स्थान प्रबन्धक का होगा। प्रबन्धकारिणी समिति को समस्त अधिकारों एवं कार्यों का प्रयोग वास्तविक रूप से प्रबन्धक ही करेगा। प्रबन्धक के प्रमुख अधिकार एवं कर्तव्य निम्नवत होंगे -

1. साधारण सभा द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार संस्था का प्रबन्धन करना तथा उसके समस्त हितों की देखरेख करना एवं मुकदमों की पैरवी करना।
2. अनुमानित आय-व्यय का लेखा जोखा तैयार करना।
3. संस्था की ओर से समस्त बिलों एवं बाड़चरों पर हस्ताक्षर करना।
4. संस्था की ओर से समस्त कानूनी कार्यवाही का संचालन करना।
5. संस्था के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के लिए मौकायुक्त करना।
6. उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ऋण, अनुदान, इच्छादाता, दाता, चल व अचल सम्पत्ति प्राप्त करना।
7. ऐसे अन्य कार्यों को करना जो आवश्यकतानुसार और समयानुसार साधारण सभा अथवा प्रबन्धकारिणी समिति प्रदान करे।
8. प्राचार्य के प्रतिवेदन पर आवश्यक रिकॉर्ड स्थानपूर्ति की पूर्ति हेतु नियुक्तियों का प्रबन्ध करना तथा उसके लिए अन्य आवश्यक कार्यवाही करना।
9. अध्यापकों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति निलम्बन, पदोन्नति, वेतनवृद्धि, वेतन तिवरण, पदव्युत कहलागी व सम्बन्धित अधिकार के कर्मचारियों की सेवाओं को आवश्यकतानुसार सम्पत्ति, नियमानुसार स्थाई करना, परीक्षण करना तथा उनकी संख्यायेष्वद्वाना तथा त्रिसम्बन्धी अन्य कार्यवाही को करना।
10. कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना तथा अनुशासन बनाए रखने के लिए कार्यवाही करना।
11. संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति पर नियंत्रण करना।
12. संस्था के विकास हेतु सरकारी विभागों एवं अन्य संस्थाओं से संपर्क स्थापित करना।
13. संस्था के विकास के लिए अपना योगदान करना।
14. सभी प्रकार की कार्यवाहियों का संचालन करना।
15. कोष सम्बन्धी कार्य करना।
16. प्रबन्धक को अपने प्रत्येक कार्य पर प्रबन्धकारिणी समिति की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा। अपने कार्यों के लिए वह प्रबन्धकारिणी समिति के प्रति उत्तरदायी होगा।

### उपप्रबन्धक :

प्रबन्धक की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्यों को सम्पादित करना और सम्बन्धित में उसका सहयोग होगा।

### कोषाध्यक्ष :

1. आय-व्यय का विवरण तैयार करना।
2. अन्य सम्बन्धी अभिलेखों को लिपिबद्ध करना।
3. सदस्यता शुल्क प्राप्त कर रसीद देना।

विनाकुपायोग  
कालिकाता/भूमि

दुर्गाप्रभाद  
द्वारा

१८-१९८८

२५८८

२५४५

रामायामायाम

कोषाध्यक्ष

**लेखा परीक्षक (आडीटर) :** 1. प्रत्येक वर्ष संस्था के आय-व्यय का आडिट लेखा परीक्षक द्वारा किया जायेगा।

10. संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :

संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन, साधारण सभा के 2/3 बहुमत से किया जायेगा।

11. संस्था का कोष :

संस्था का कोष रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित / राष्ट्रीयकृत बैंक / मान्यता प्राप्त बैंक / सार्वजनिक बैंक / वित्तीय संस्थान किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा डाकघर व संस्था के नाम से खाता खोलकर किया जायेगा। जिसका अहरण प्रबन्धक एवं अध्यक्ष के हस्ताक्षर से किया जायेगा।

12. संस्था का लेखा परीक्षण :

संस्था के समस्त आय-व्यय का लेखा परीक्षण प्रति वर्ष सत्र की समाप्ति पर संस्था द्वारा किसी आय आडीटर द्वारा कराया जायेगा।

13. संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही का उत्तरदायित्व : संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही का संचालन संस्था के प्रबन्धक द्वारा किया जायेगा।

14. संस्था के अभिलेख :

1 सदस्यता रजिस्टर

2 कार्यवाही रजिस्टर

3 एजेण्डा रजिस्टर

4 कैश बुक

5 लेजर

उप मिशनरी  
कर्म सोसाइटी एवं निर्देश  
अयोध्या (३० प्र०)

15. संस्था के विघटन एवं विघटित संपत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

16. संस्था विकास हेतु स्वयं की सम्पत्ति यथा संस्था की भूमि, भवन व चल अचल सम्पत्ति के माध्यम से बैंक से आवश्यकानुरूप प्रबन्धक / संरक्षक ऋण प्राप्त कर सकता है।

दिनांक : .....

सत्य प्रतिलिपि

कृष्ण शर्मा  
इलेक्ट्रोनिक  
रामाचारण पाठ्य  
त्रीपति राजपूत

दुर्गप्रसाद  
किंवद्दुर्गा

श्रीपति राजपूत

गयाप्रभाद  
कौदव्यनाथ